Rams-2020/00127

...ालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 नं0:- 67 /2020 तारीखरजू:- 24.7.2020

उनवानः- रामेश्वर बनाम तहसीलदार वगै0

दावा बावत घोषणा खातेदारी

दिनांक	फर्द अहकाम	
...7.2020	वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा बावत घोषणा खातेदारी (इन्द्राज दुरूस्ती) 88 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 31.07.2020 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	3342 24/7/2020
...1.7.20	वादी वकील उप0। तहसीलदार पैरोकार सरकार उप0। जवाब वास्ते दिनांक 26.8.20 को पेश हो।	
26.8.20	वादी वकील एवं पैरोकार सरकार की ओरसे आफिस कानूनगो उपस्थित। जवाब पेश करने एक मौका चाहा। आगामी तिथी पर जवाब पेश करे। पत्रावली दिनांक 15.9.20 को पेश हो।	
15.9.20	~~वादी वकील~~/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी...नाकोंदी पर जोर की पत्रावली गतानुसार दिनांक...13.10.20 को पेश हो।	
13.10.20	वादी वकील पैरोकार सरकार उप0। जवाब ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ CA पेश किया। शामिल किया गया। साक्ष्य पेश करने दिनांक 11.11.20 को पेश हो।	
11.11.20	वादी वकील/~~वकील उभय पक्ष उपस्थित~~ पीठासीन अधिकारी...अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली गतानुसार दिनांक...22.12.20 को पेश हो।	
22.12.20	वादी वकील/~~वकील उभय पक्ष उपस्थित~~ पीठासीन अधिकारी...प्रशिक्षण पर जोर की पत्रावली गतानुसार दिनांक...28.12.20 को पेश हो।	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

रामेश्वर पुत्र भौरया प्रजापत निवासी भोलू की कोठी तहसील टोडाभीम जिला करौली — वादी

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली। — प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88आर0 टी0 एक्ट0

मु0न0 67/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू पैरोकार सरकार हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दावा डिक्री किया जाकर ग्राम भोलू की कोठी स्थिति आराजीयात ख0न0 668/1114/0.03, 670/1183/0.33, 672/0.23, 673/0.34, 673/1242/0.12, 674/0.56, 678/1243/0.09, 850/0.14, 851/0.14, 852/0.03 कुल किता 10 कुल रकवा 2.01 है0 मे वादी का नाम ऊंगा पुत्र भौरया के स्थान पर रामेश्वर पुत्र भौरया दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टोडाभीम उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

निज......................मुबलिंग...........................बाबत..........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 11.01.2021 को जारी की गई।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला–करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

तारीख रजू:– 24.07.2020

प्र0न0 67 / 2020

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

रामेश्वर पुत्र भौरया प्रजापत निवासी भोलू की कोठी तहसील टोडाभीम जिला करौली

वादी

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88आर0 टी0 एक्ट0

उपस्थिति:– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट वादी

पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 11.1.2021

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भोलू की कोठी स्थिति आराजीयात ख0न0 668 / 1114 / 0.03, 670 / 1183 / 0.33, 672 / 0.23, 673 / 0.34, 673 / 1242 / 0.12, 674 / 0.56, 678 / 1243 / 0.09, 850 / 0.14, 851 / 0.14, 852 / 0.03 कुल किता 10 कुल रकवा 2.01 है0 मे वादी बहिस्सा 7 / 30 का खातेदार काश्तकार है।

उक्त आराजी मे वादी को पिता भौरया के नाम थी पिता भौरया की मृत्यु के पश्चात विरासत नामांतकरण खोलते समय वादी का नाम ऊंगा अंकित कर दिया जबकि वादी का सही नाम रामेश्वर है वादी चार भाई व दो बहिन है वादी के एक भाई द्वारा अपने हिस्से का बेचान कर दिया है। वादी के समस्त दस्तावेज यथा राशनकार्ड, वोटर लिस्ट, भामाशाह , आधार कार्ड बैक पासबुक तथा बच्चो के शेक्षणित दस्तावेजो मे रामेश्वर दर्ज है। बॉका दिनांक 16.7.2020 को वादी अपनी के.सी.सी. पत्रावली बनवाने पटवारी के पास गया तब वादी को पता चला तो वादी तहसीलदारजी से मिला तो उन्होने साफ मना कर दिया और कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि ग्राम भोलू की कोठी स्थिति आराजीयात ख0न0 668 / 1114 / 0.03, 670 / 1183 / 0.33, 672 / 0.23, 673 / 0.34, 673 / 1242 / 0.12, 674 / 0.56, 678 / 1243 / 0.09, 850 / 0.14, 851 / 0.14, 852 / 0.03 कुल किता 10 कुल रकवा 2.01 है0 मे वादी का नाम ऊंगा पुत्र भौरया को हजफ कर रामेश्वर पुत्र भौरया दर्ज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम को तलब किया गया। तहसीलदार टोडाभीम ने इस आशय का जबाब पेश किया कि ग्राम मोहनपुर की साबिक

(दुर्गा प्रसाद मीणा)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

न्दी सम्वत 2038-41 के खाता संख्या 83 व 90 मे वादी के पिता भौरया पुत्र ग्यारसा के खातेदारी दर्ज रिकार्ड रही है। मिसल बन्दोबस्त ग्राम मोहनपुर सम्वत 2043-62 मे वादी पि. भौरया दर्ज रिकार्ड है, तथा भौलू की कोठी मे भी नामांतकरण संख्या 80 से बाई बेवा भौरया की विरासत मे उगा पि. भौरया दर्ज है। जो विरासत के नामांतकरण से है। हाल जमाबन्दी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 38, 41 मे भी ऊंगा पुत्र भौरया कुम्हार का नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम मे वादी का बोलता नाम उगा है। परन्तु वास्तविक रामेश्वर है, ऊंगा व रामेश्वर एक की व्यक्ति है।

वादी वकील ने वादपत्र के समर्थन में स्वय का शपथ पत्र एवं रत्ती पुत्र भौरया, ाण पुत्र भौरया के शपथ पत्र पेश किये, इन्होने भी ऊंगा व रामेश्वर को एक ही व्यक्ति जाहिर कर दावा स्वीकार करने का अंकन किया है।

प्रार्थी वकील ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया कथन किया की ीलदार टोडाभीम से प्राप्त रिपोर्ट में भी ऊंगा व रामेश्वर को एक ही व्यक्ति बताया है सका सही नाम रामेश्वर ही है। इस बावत ही तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट प्राप्त हुई वादी के भाईयो ने भी वादपत्र की ताईद की है। अत वाद पत्र स्वीकार करते हुऐ राजस्व ार्ड में ऊंगा के स्थान पर रामेश्वर नाम दर्ज करने का आदेश फरमावे। पैरोकार सरकार ने उक्तानुसार नाम सही किये जाने का कथन किया ।

वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया पत्रावली में शामिल तावेजो का अवलोकन किया तहसीलदार टोडाभीम ने प्रस्तुत रिपोर्ट में ऊंगा व रामेश्वर को क ही व्यक्ति होना बताया है। प्रस्तुत आधार कार्ड संख्या 4188 8872 6873, भारत निर्वाचन योग के पहचान पत्र क्रमांक आर जे/10/087/459524, जन आधार कार्ड न0 782075872, सहकारी किसान कार्ड न0 44555, मे रामेश्वर नाम अंकित है। उपरोक्त विवेचन, पथ पत्रों, एवं तहसीलदार टोडाभीम की अनुशंसा के आधार पर ऊंगा पुत्र भौरया के स्थान र रामेश्वर पुत्र भौरया नाम दर्ज किया जाना उचित पाता हू।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दावा डिकी किया जाकर ग्राम भोलू की कोठी स्थिति ाराजीयात ख0न0 668/1114/0.03, 670/1183/0.33, 672/0.23, 673/0.34, 673/1242/0.12, 674/0.56, 678/1243/0.09, 850/0.14, 851/0.14, 852/0.03 कुल किता 10 कुल रकवा 2.01 है0 मे वादी का नाम ऊंगा पुत्र भौरया के स्थान पर रामेश्वर पुत्र भौरया दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टोडाभीम उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2021 को खुले न्यायलय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम जिला करौली